



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक : वित्त प्रकोष्ठ/2020-21/169

दिनांक : 12/10/21

समस्त उप आवासन आयुक्त,
आवासीय अभियन्ता/
लेखाधिकारी (भुगतान)
आवास विकास लिमिटेड/
आमेर विकास प्राधिकरण/
जयपुर विकास प्राधिकरण/
वृत्त/खण्ड.....

Computer cell

विषय :- राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (RGHS) में पंजीकरण कराने के संबंध में।


उपरोक्त विषय में लेख है कि राजस्थान आवासन मण्डल में राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (RGHS) में कार्यालय आदेश क्रमांक वित्त प्रकोष्ठ/2021-22/142 दिनांक 10.09.2021 द्वारा लागू कर दी गई है, जिसके अनुसार दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए RGHS योजना ऐच्छिक रहेगी एवं पंजीकरण करवाने पर उनके द्वारा राशि रु. 6100/- वार्षिक देय होगा। दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए RGHS योजना में पंजीयन कराना अनिवार्य है, जिसकी राशि रु. 6100/- मण्डल द्वारा वहन की जायेगी। कर्मचारी RGHS योजना में पंजीकरण करवाने के लिए जनआधार कार्ड बनवाया जाना सुनिश्चित करें।

अतः आपके कार्यालय में 01.01.2004 एवं 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों का RGHS योजना में पंजीकरण करवाने के लिए निम्न सूचना प्रेषित करावे:-

S.NO.	SSO ID	NAME	PRAN/GPF NO.	DOB	DOJ	DOR	DESIGNATION	BASIC PAY	SERVICE STATUS(SERVING)	MOBILE NO.
-------	--------	------	--------------	-----	-----	-----	-------------	-----------	-------------------------	------------

SSOID के User Name में RHB आना आवश्यक है (उदाहरण:- कर्मचारी का नाम RHB)

यदि दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी RGHS योजना में पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो Pran No. के स्थान पर उपरोक्त सारणी में GPF No. अंकित करें। उक्त सूचना वरिष्ठ लेखाधिकारी (वित्त) एवं ई-मेल आई.डी. dyfa.rhb@Rajasthan.gov.in पर एक्सल फॉर्मेट में 7 दिवस में भेजे जाना सुनिश्चित करें, ताकि RGHS योजना में पंजीकरण शीघ्र हो सके।


उप वित्तीय सलाहकार
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर